

न्यायालय :- द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट (म.प्र.)
शृंखला न्यायालय-बैहर
(पीठासीन अधिकारी-माखनलाल झोड़)

C.R.A./23/2017

Filling No. CRA/570/2017

CNR MP 500500009092017

संस्थित दिनांक - 03.12.2015

प्रताप मेश्राम पिता जनकलाल मेश्राम उम्र 36 वर्ष
निवासी-ग्राम अचानकपुर थाना बिरसा जिला बालाघाट **अपीलार्थी ।**

// / विरुद्ध // /

म0प्र0 शासन द्वारा :-

आरक्षी केन्द्र-बिरसा

तहसील बैहर जिला बालाघाट

उत्तरवादी

{न्यायालय:-श्री सिराज अली, तत्कालीन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर द्वारा आप.प्रक.क्र.-696/2009 में पारित निर्णय दिनांक 19.11.2015 से परिवेदित होकर धारा 374 दं.प्र.सं. के अंतर्गत यह दण्डिक अपील प्रस्तुत की है}

श्री जी0एल0 गौतम अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थी ।

श्री डी.पी. बिसेन अधिकृत लोक अभियोजक वास्ते उत्तरवादी/राज्य ।

- / / / निर्णय / / / -

(आज दिनांक **07 अप्रैल 2017** को घोषित)

1. अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा यह अपील धारा 374 द.प्र.सं. के, श्री सिराज अली, तत्कालीन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर द्वारा आपराधिक प्रकरण क्रमांक 696/2009 शासन बनाम प्रताप वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 19.11.2015 से परिवेदित होकर पेश की गई है।
2. अभियोजन के मामले का सार यह है कि दिनांक 13.11.2009 को रात्रि करीब 10:00 बजे श्रीमती कुसुमाबाई के दुकान के अंदर ग्राम अचानकपुर पुलिस चौकी सालेटेकरी, थाना बिरसा में अभियुक्त प्रताप ने जाकर प्रार्थिया से बीड़ी-माचिस दुकान से देने का कहकर वह मकान के अंदर पहुँच गया, जब प्रार्थिया बच्चों को खाना परोसना चाह रही थी, तब अभियुक्त ने प्रार्थिया को पीछे से पकड़ लिया। यह जानते हुए कि प्रार्थिया महिला है, की लज्जा भंग

करने के आशय से आपराधिक बल का प्रयोग किया, प्रार्थिया का सीना दबाया, गिरा दिया। तब प्रार्थिया ने प्रताप को दाँतों से काटा, हल्ला मचाया, झापड़ मारा तब प्रताप चला गया। कुछ देर बाद वह तेजलाल और घासीराम को साथ लेकर आया, प्रार्थिया और उसके पति के साथ मारपीट की। राजकुमार, संतोष, नानचक, रामकुमार ने घटना देखी है, आशय की प्रथम सूचना पुलिस चौकी सालेटेकरी में लेख कराए जाने पर 0/09 पर लेख की गई।

3. श्रीमती कुसमाबाई और संतोष की चोटों का परीक्षण कराने हेतु आवेदन लेख कर उनका चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। घटनास्थल जाकर नक्शामौका प्रार्थिया की निशादेही पर बनाया गया। कायमी हेतु थाना बिरसा प्रेषित किए जाने पर अपराध क्रमांक 79/09 धारा 456, 354, 323, /34 भा.द. वि. के अधीन आरोपीगण के विरुद्ध कायमी की गई, तीनों आरोपी को गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तारी की सूचना दी गई। साक्षियों के कथन लेख किए गए, अन्वेषण पूर्ण कर अभियोग पत्र पेश किया गया।

4. प्रस्तुत अपील के आधार का सार यह है कि कुसमाबाई अ.सा.1, संतोष अ.सा. 2 पति-पत्नी है। स्वतंत्र साक्षी भीखूराम अ.सा.3, संतोष अ.सा.4, राजकुमार अ.सा.5, नानचक अ.सा.6 स्वतंत्र साक्षियों ने घटना का समर्थन नहीं किया है। डॉ. एल.एन.एस. उइके अ.सा. 7, रामकिशोर मात्रे अ.सा.8, आर.एस. सिंगरौरे अ.सा. 10 का परीक्षण कराया गया है। बचाव पक्ष की ओर से जगदीशलाल का परीक्षण कराया गया। साक्षियों के कथनों का मूल्यांकन सही नहीं किया है, दोषसिद्ध का निष्कर्ष निकालकर गंभीर त्रुटि की है। बाकी अभियुक्तों को संदेह का लाभ देकर अर्थदण्ड से दंडित किया है। मुख्य परीक्षण में आयी साक्ष्य को आधार मानकर दोषसिद्धि का निष्कर्ष दिया है, परीवीक्षा अवधि का लाभ नहीं दिया है। पारित निर्णय, दण्डादेश विधिक सिद्धांतों के विपरीत है, बोलता हुआ आदेश नहीं है, अपील स्वीकार कर निर्णय, दण्डादेश अपास्त कर, अपीलार्थी को दोषमुक्त किए जाने की याचना की है।

5. अपील के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

क्या विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित दा.प्र. क्र. 696/2009, शासन विरुद्ध प्रताप वगैरह, निर्णय दिनांक 19.11.2015 को अपीलार्थी के विरुद्ध पारित निर्णय में साक्ष्य के मूल्यांकन में त्रुटि, तथ्य की त्रुटि अथवा विधि की त्रुटि किए जाने से आलोच्य निर्णय हस्तक्षेप योग्य है ?

विचारणीय प्रश्न का अभिलेख के आधार पर निष्कर्ष :-

6. भीखूराम साहू (अ.सा.3), संतोष बारमाटे (अ.सा.4), रामकुमार (अ.सा.5), नानचक (अ.सा.6) अभियोजन साक्षीगण के कथनों में घटना बाबद् तथा आरोप को प्रमाणित करने हेतु साक्ष्य का अभाव है। सूचक प्रश्नों के उत्तर में भी साक्ष्य नहीं है।
7. श्रीमती कुसुमाबाई (अ.सा.1) ने पद क्रमांक 1 में साक्ष्य दी है कि वह आरोपीगण को जानती है। घटना 2009 की रात्रि 10 बजे की है। साक्षी के घर से लगी दुकान है। वह घर पर बच्चों को खाना दे रही थी उसी समय आरोपी प्रताप आया और कहने लगा कि बीड़ी-माचिस दो। उस समय साक्षी के पति घर पर नहीं थे। आरोपी से कहा कि पहले खाना दे देने दो फिर बीड़ी माचिस देती हूँ, आरोपी उसी समय पीछे से आया और साक्षी का हाथ पकड़ लिया, साक्षी ने कहा कि क्या नाटक कर रहे हो तो आरोपी प्रताप ने कहा कि कुछ नहीं होता, साक्षी के साथ छेड़छाड़ करने लगा, साक्षी ने मारा जब प्रताप नहीं माना तो उसके हाथ में, सीने में, पैर में दाँतों से काट दिया फिर भी आरोपी प्रताप ने नहीं छोड़ा तो वह जोर से चिल्लाई। चिल्लाने पर उसके पति उस समय आ गया, उसने कहा कि यह सब क्या हो रहा है।
8. इसी साक्षी ने पति के पूछने पर बताया कि आरोपी प्रताप प्रार्थी के साथ जबरदस्ती छेड़छाड़ कर रहा है। प्रार्थी और प्रार्थी के पति ने मिलकर प्रताप को मारा, फिर प्रताप वहीं से चला गया। पद क्रमांक 2 में कथन किया है कि आरोपी उसके घर गया और उसके दोनों भाई तेजराम, छोटू को साथ ले आया और तीनों आरोपीगण ने साक्षी के साथ मारपीट हाथ, लकड़ी से की। साक्षी बचाने गई तो आरोपीगण ने साक्षी के साथ भी मारपीट की, चोट आयी, गांव के बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। दूसरे दिन सुबह जाकर घटना की रिपोर्ट प्र.पी. 1 लेख कराई थी जिसके ए से ए भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने साक्षी और पति का मुलाहिजा कराया था। प्र.पी. 2 का मौकानक्शा बनाया था जिस पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने पूछताछ कर बयान लिए थे।
9. प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 4 लगायत 12 में किए गए कूट परीक्षण में आयी साक्ष्य से उक्त साक्ष्य का खंडन नहीं होता है। बचाव पक्ष द्वारा दिया गया सुझाव कि प्रार्थिया के पति और अभियुक्त के बीच शर्त लगी थी कि अभियुक्त प्रताप प्रार्थिया को, प्रार्थिया के घर से बुलाकर प्रताप के घर जहाँ अन्य लोग बैठे थे, ला जाएगा तो प्रार्थिया का पति संतोष अभियुक्त को एक हजार रुपया देगा। यह बचाव अभियुक्त प्रताप ने तत्कालीन न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी श्री जयदीप सोनबरसे द्वारा आरोप की विरचना कर,

अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाया, समझाया था तब दिनांक को उज्र सफाई में उक्त बचाव का अभिवाक् लेख नहीं कराया है, इसलिए उक्त बचाव मात्र काल्पनिक है।

10. संतोष (अ.सा.2) ने साक्ष्य दी है कि वह आरोपीगण को जानता है, प्रार्थिया साक्षी की पत्नी है। घटना वर्ष 2009 की रात्रि 10 बजे की है। साक्षी गांव बश्ती में से घूमकर घर वापस जा रहा था। आरोपी प्रताप और साक्षी की पत्नी की आवाज सुनी, तब वह दुकान के अंदर गया, तब साक्षी ने देखा कि आरोपी प्रताप साक्षी की पत्नी को पकड़ रहा है, साक्षी ने अपनी पत्नी को छुड़ाया और आरोपी प्रताप को मारा। आरोपी प्रताप उसके घर चला गया, दोनों भाईयों तेजलाल एवं घासीराम को बुलाकर लाया, तीनों आरोपीगण ने मिलकर साक्षी को मारा। साक्षी की पत्नी बचाव करने गई तो उसे भी मारा। रात में ही कोटवार को सूचना दी थी। कोटवार ने कहा कल सुबह चलेंगे तब साक्षी ने उसकी पत्नी ने थाना जाकर रिपोर्ट की, पुलिस ने मुलाहिजा कराया था। साक्षी के सिर, गले, पीठ में चोट थी। प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 2 लगायत 5 में आयी साक्ष्य से तात्त्विक बिंदु के संबंध में लेख साक्ष्य का खंडन नहीं होता है। उस पर अविश्वास करने का कोई आधार दर्शित नहीं होता है।

11. डॉ. एल.एन.एस. उइके (अ.सा.7) ने अपने मुख्य परीक्षण में प्रार्थिया कुसमाबाई और संतोष की चोटों का परीक्षण चौकी सालेटेकरी के आरक्षक द्वारा साक्षी के समक्ष लाए जाने पर किया था। संतोष की परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी. 6 है जिसके ए से ए भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं। पाई गई चोटें साधारण प्रकृति की होकर 10-12 घंटे की अवधि की हैं। कुसमाबाई की परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी. 7 है। पाई गई चोट 12-14 घंटे के अंदर की होना लेख है। प्रतिपरीक्षण में इंकार किया है कि आहतों को आयी चोटें एक समय की नहीं हो सकती। यह स्वीकार किया है कि उक्त चोट कठोर सतह पर गिरने से आ सकती है।

12. रामकिशोर (अ.सा.8) ए.एस.आई. ने कथन किया है कि चौकी सालेटेकरी द्वारा अपराध क्रमांक 0/2009 धारा 456, 354, 323/34 भा.द.वि. की प्रथम सूचना असल नंबरी हेतु आरक्षक शिवेन्द्र क्रमांक 134 द्वारा पेश की थी जिसके आधार पर अपराध क्रमांक 79/09 धारा 456, 354, 323/34 भा.द.वि. कायम किया था, कायमी प्र.पी. 8 है जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्ष्य को प्रतिपरीक्षण में चुनौती नहीं दी गई है।

13. रविकांत अवस्थी (अ.सा.9) उप निरीक्षक ने साक्ष्य दी है कि वह दिनांक 14.11.2009 को चौकी सालेटेकरी में ए.एस.आई. के पद पर पदस्थ था। श्रीमती कुसमाबाई के बताएनुसार अपराध क्रमांक 0/09 धारा 456, 354, 323/34 भा.द.वि. के अधीन आरोपी प्रताप, तेजलाल, छोटू उर्फ घासीराम के

विरुद्ध लेख की थी जो प्र.पी. 1 है और असल नंबरी हेतु थाना बिरसा भेजी थी। मौकानक्शा प्र.पी. 2 बनाया था, तीनों आरोपीगण को गिरफ्तार गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी. 9, 10, 11 का बनाया था। उक्त साक्ष्य का खंडन प्रतिपरीक्षण में नहीं है।

14. आर.एस. सिंगरौरे (अ.सा.10) ने साक्ष्य दी है कि दिनांक 18.11.09 को बिरसा थाना में पदस्थ था। साक्षी को अपराध क्रमांक 79/09 की डायरी प्राप्त होने पर साक्षी राजकुमार, नानचक, भीखू, रामकुमार के बयान लेखबद्ध किए थे। प्रतिपरीक्षण में इंकार किया है कि उक्त साक्षियों के कथन अपने मन से लेख किए थे। यदि उक्त साक्षी न्यायालय में कथन देना इंकार करते हैं तो कारण नहीं बता सकता।

15. अपीलार्थी की ओर से बचाव पक्ष के साक्षी क्रमांक 1 जगदीशलाल के मुख्य कथन के पद क्रमांक 1 में लेख कराई संपूर्ण साक्ष्य का आधार लेते हुए निवेदन किया है कि अभियुक्त प्रताप और आहत संतोष के बीच शर्त लगने के कारण अभियुक्त प्रताप, संतोष के घर गया और संतोष की पत्नी को बुलाकर लाने पर संतोष एक हजार रुपए प्रताप को देगा। इस तर्क को यथावत शतप्रतिशत तर्क के लिए सही माना भी जावे तो बचाव साक्षी क्रमांक 1 जगदीशलाल के कथन में यह साक्ष्य नहीं है कि प्रताप, संतोष के घर जाकर संतोष की पत्नी कुसमाबाई को बीड़ी-माचिस दे कहकर, दुकान में खींच लेगा, कुसमाबाई के शरीर पर आपराधिक बल का प्रयोग करेगा, कुसमाबाई जो महिला है, जानते हुए कुसमाबाई को प्रताप के घर लाने के लिए प्रताप कुसमाबाई के उरोज को बलपूर्वक दबाएगा अथवा आपराधिक बल का प्रयोग करेगा। यह शर्त कि विषय-वस्तु थी, साक्ष्य का अभाव है। परिणामतः यदि कोई शर्त रखी भी गई हो तो अपीलार्थी प्रताप द्वारा कुसमाबाई के शरीर पर लज्जा भंग करने के आशय से, उसकी इज्जत लेने के आशय से उपयोग में लाया गया आपराधिक बल विधिक दृष्टि में धारा 354 भा.द.वि. का अपराध संदेह से परे गठित करता है।

16. विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी प्रताप को धारा 354 भा.द.वि. के अपराध करने के उद्देश्य से अथवा इस प्रकार का अपराध करने की मानसिक स्थिति रखते हुए प्रार्थिया कुसमाबाई के मकान में, दुकान में, प्रवेश करना प्रमाणित है। इस प्रकार 458, 354, 323, 323/34 भा.द.वि. का अपराध प्रमाणित निष्कर्ष कर विद्वान विचारण न्यायालय ने तथ्य की त्रुटि नहीं की है, विधि की त्रुटि नहीं की है, साक्ष्य के मूल्यांकन में त्रुटि नहीं की है। विद्वान विचारण न्यायालय के निर्णय और दण्डादेश में हस्तक्षेप किए जाने योग्य कोई आधार अभिलेख पर विद्यमान नहीं है।

17. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य निर्णय एवं दण्डादेश दिनांक 19.11.2015 की पुष्टि की जाती है। प्रस्तुत अपील सारहीन होने से अस्वीकार कर निरस्त की जाती है।

18. निर्णय की एक प्रति अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख के साथ संलग्न कर पंजी में परिणाम दर्ज करने भेजा जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित व दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे डिक्टेसन पर टंकित
किया गया।

सही /—

(माखनलाल झोड़)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट
श्रृंखला न्यायालय बैहर

सही /—

(माखनलाल झोड़)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट
श्रृंखला न्यायालय बैहर